रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22112021-231275
CG-DL-E-22112021-231275

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 581]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 18, 2021/कार्तिक 27, 1943
No. 581]	NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 18, 2021/KARTIKA 27, 1943

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2021

फा. सं. यूजीएमईबी/एनएमसी/रूल्स एंड रेग्युलेशंस/2021/—राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 (2019 का 30) की धारा 15 की उप-धारा (4) के साथ पठित धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोगकरते हुए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है:-

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण –**(1) ये विनियम, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातक लाइसेंसिएट) विनियमावली, 2021कहे जाएंगे।

(2) ये भारत के सरकारी राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रावृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं–** इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 (2019का 30) अभिप्रेत है;

(ख) "आयोग" से, अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अभिप्रेत है;

(ग) "विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातक" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास भारत में चिकित्सा व्यवसाय के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए भारत में किसी विश्वविद्यालय या मेडिकल कॉलेज या संस्थान से मूल स्नातक या प्राथमिक शैक्षिक योग्यता (स्नातक-पूर्व मेडिकल डिग्री) नहीं है;

(घ) "चिकित्सा–शास्त्र" से अपनी सभी शाखाओं में आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा-शास्त्र अभिप्रेत है और इसमें शल्य-चिकित्सा तथा प्रसूति-विज्ञान शामिल है, परंतु इसमें पशुचिकित्सा-शास्त्र और शल्यचिकित्सा शामिल नहीं है।

(ङ) "स्थायी पंजीकरण" अधिनियम के अध्याय VI के उपबंधों के अंतर्गत यथा विनियमित, किसी विधिवत् मान्यताप्राप्त प्राथमिक आयुर्विज्ञान शैक्षिक योग्यता वाले पात्र व्यक्तियों का पंजीकरण है, जो स्थायी चिकित्सा विनियमावली, 2021 के अंतर्गत यथा विनियमित, भारत में आधुनिक वैज्ञानिक औषध प्रणाली या ऐलोपैथिक में स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस करने की अनुमति प्रदान करता है या लाइसेंस उपलब्ध कराता है;

(च) "अनुसूची" से इन विनियमों से संबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(छ) "पर्यवेक्षित इंटर्नशिप" से मेंटरों द्वारा किसी इंटर्न का प्रशिक्षण अभिप्रेत है ताकि वह अनुकंपा के साथ स्वतंत्र रूप से सुरक्षित निवारक, उन्नायक, उपचारात्मक, प्रशामक और हॉलिस्टिक देखभाल प्रदान करने के लिए किसी प्राथमिक देखभाल चिकित्सक के लिए समुचित, औषध की भिन्न-भिन्न विधाओं में नैदानिक और चिकित्सीय कौशलों में विश्वसनीय सक्षमताओं वाला चिकित्सक बन सके और सामान्य अतिपाति आपातकालिक स्थितियां संभालने का विश्वास वाला हो।

(2) इन विनियमों में इस्तेमाल किए गए और इसमें परिभाषित न किए गए परंतु अधिनियम में परिभाषित किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा, जो अधिनियम में उन्हें दिया गया है।

3. **भारत में चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए, विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातक का निषेध** –कोई भी विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातक भारत में चिकित्सा व्यवसाय नहीं करेगा, जब तक उसे इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार स्थायी पंजीकरण प्रदान न कर दिया गया हो।

4. **विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातक को स्थायी पंजीकरण प्रदान करना** –किसी भी विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातक को स्थायी पंजीकरण प्रदान नहीं किया जाएगा, जब तक उसने –

(क) (i) कोई ऐसा पाठ्यक्रम पूरा न कर दिया हो, जिसके परिणामस्वरूप 54 महीने की न्यूनतम अवधि वाली विदेशी आयुर्विज्ञान डिग्री के लिए तैयार हो;

(ii) उसी विदेशी आयुर्विज्ञान संस्थान में 12 महीने की न्यूनतम अवधि की इंटर्नशिप पूरी न कर ली हो;

(iii) अंग्रेजी में शिक्षण के माध्यम से विदेशी आयुर्विज्ञान डिग्री प्राप्त न कर ली हो; और

(iv) अनुसूची-। में विनिर्दिष्ट अनिवार्य विषयों में अध्ययन न किया हो;

(ख) संबंधित व्यावसायिक विनियामक निकाय में पंजीकरण न कराया हो या अन्यथा उस देश के अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस प्रदान किए जाने के लिए सक्षम न हो, जिसमें आयुर्विज्ञान डिग्री प्रदान की गई हो और उस देश के नागरिक को दिए गए, चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस के समतुल्य हो;

(ग) आयोग को इसके लिए आवेदन करने के पश्चात 12 महीने की न्यूनतम अवधि के लिए भारत में पर्यवेक्षित इंटर्नशिप पूरी न कर ली हो; और

(घ) राष्ट्रीय एग्जिट परीक्षा या ऐसी अन्य अनिवार्य परीक्षा या आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण न कर ली हो।

5. **इन विनियमों की अनुप्रयोज्यता** - (1) विनियम 4 में दी गई किसी बात के होते हुए भी, ये विनियम निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे-

(क) ऐसे विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातक, जिन्होंने, इन विनियमों के प्रवृत्त होने से पहले कोई विदेशी आयुर्विज्ञान डिग्री या प्राथमिक शैक्षिक योग्यता, जैसा भी मामला हो, प्राप्त कर ली हो;

(ख) ऐसे अभ्यर्थी, जो इन विनियमों के प्रवृत्त होने से पहले विदेशी संस्थानों में अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं; और

(ग) ऐसे विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातक, जो अधिसूचना द्वारा आयोग या केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त हैं।

(2) ऐसे विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातक, जिन्होंने कोई विदेशी आयुर्विज्ञान डिग्री या प्राथमिक शैक्षिक योग्यता, जैसा भी मामला हो, पूरी कर ली है और ऐसे अभ्यर्थी जो इन विनियमों के प्रवृत्त होने से पहले विदेशी संस्थानों में अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, लागू होने वाले तत्कालीन विनियमों द्वारा विनियमित होंगे।

(3) इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए किसी स्थायी पंजीकरण की स्वीकृति जारी नहीं की जाएगी, यदि इससे सरकारी नीति या राष्ट्रीय सुरक्षा का उल्लंघन होता हो।

(अनुसूची-।)

(विनियम 4 देखें)

विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातकों को मान्यता देने, भारत में चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस या स्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन करने का मापदंड

1. भारत में चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए किसी विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातक को लाइसेंस देने हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातक, किसी भारतीय आयुर्विज्ञान स्नातक के समतुल्य या अनुरूप शिक्षा और प्रशिक्षण की शर्तें पूरी करता है।

2. **भारत के बाहर के किसी देश में प्राथमिक चिकित्सा शैक्षिक योग्यता के लिए पात्रता-**

(i) उन विषयों में पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण की अवधि जिसके परिणामस्वरूप प्राथमिक चिकित्सा शैक्षिक योग्यता के लिए तैयार हो:

(क) कोई व्यक्ति, जो विदेशी आयुर्विज्ञान डिग्री पाठ्यक्रम में अध्ययन करता है, उसे भारत में आयुर्विज्ञान एवं शल्यचिकित्सा स्नातक (एमबीबीएस) के समतुल्य सिद्धांत, प्रयोगात्मक और नैदानिक प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम पूरा किया हुआ होना चाहिए; और

(ख) कम्युनिटी मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, मनश्चिकित्सा, बाल रोग, जनरल शल्यचिकित्सा, संचेतनाहर-विज्ञान, प्रसूति-विज्ञान एवं स्त्रीरोग-विज्ञान, अस्थिरोग-विज्ञान, कर्ण नासिका कान-नाक-गला रोग-विज्ञान, नेत्ररोग-विज्ञान त्वचारोग-विज्ञान, आपातकालिक या हताहत सेवाओं, प्रयोगशाला सेवाओं और उनकी उप-विशेषज्ञताओं सहित परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं, नैदानिक विषयों में व्यावहारिक प्रशिक्षण के साथ-साथ, उसी विदेशी संस्थान में, जहां प्राथमिक चिकित्सा शैक्षिक योग्यता प्राप्त की गई है, खंड (क) में उल्लिखित इस पाठ्यक्रम के अतिरिक्त 12 महीने की इंटर्नशिप पूरा किया हुआ होना चाहिए।

(ii) उस पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण की विषय-वस्तु जिसके परिणामस्वरूप प्राथमिक चिकित्सा शैक्षिक योग्यता के लिए तैयार हो:

(क) पाठ्यक्रम और इंटर्नशिप या नैदानिक क्लर्कशिप, स्नातक आयुर्विज्ञान शिक्षा विनियमावली, 1977 और उसके उत्तरवर्ती संशोधनों के अनुसार भारत के एमबीबीएस पाठ्यक्रम के अनुरूप होगी और इनमें अधिनियम की धारा 61 की उप-धारा (2) के अंतर्गत आयोग द्वारा विधिवत् मान्यताप्राप्त, इसमें उल्लिखित विषय शामिल होंगे;

(ख) पाठ्यक्रम का कॅरिकुलम, समुचित प्राधिकारियों द्वारा और यदि आवश्यक हो, उस संस्थान या विश्वविद्यालय, जहां पाठ्यक्रम में शामिल होने के समय पर पाठ्यक्रम में अध्ययन किया जा रहा है, की वेबसाइट में समीक्षा के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

(iii) मेडिकल कॉलेज या संस्थान का स्थान और पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण का संचालन:

पूरा पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण और इंटर्नशिप या क्लर्कशिप, अध्ययन के पूरे पाठ्यक्रम में उसी विदेशी आयुर्विज्ञान संस्थान में भारत के बाहर पूरी की जाएगी और चिकित्सीय प्रशिक्षण और इंटर्नशिप का कोई भी भाग, भारत में या उस देश, जहां प्राथमिक चिकित्सा शैक्षिक योग्यता प्राप्त की गई है, के अलावा किसी अन्य देश में पूरा नहीं किया जाएगा।

(iv) पाठ्यक्रम की अवधि:

विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातक पाठ्यक्रम की कुल अवधि, पाठ्यक्रम में शामिल होने की तारीख से 10 वर्ष के अंदर पूरी की जाएगी।

डॉ. संध्या भुल्लर, सचिव

[फा. सं. विज्ञापन-III/4/असा./446/2021-22]

NATIONAL MEDICAL COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th November, 2021

No. UGMEB/NMC/Rules & Regulations/2021/.——In exercise of the powers conferred by section 57 read with sub-section (4) of section 15 of the National Medical Commission Act, 2019 (30 of 2019), the National Medical Commission hereby makes the following regulations namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These Regulations may be called the National Medical Commission (Foreign Medical Graduate Licentiate) Regulations, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette of India.

2. Definitions.— In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the National Medical Commission Act, 2019 (30 of 2019);

(b) "Commission" means the National Medical Commission constituted under section 3 of the Act;

(c) "Foreign Medical Graduate" means a person who does not have basic graduation or primary qualification (undergraduate medical degree) from any University or medical college or institution in India, to seek license for medical practice in India;

(d) "Medicine" means modern scientific medicine in all its branches and includes surgery and obstetrics, but does not include veterinary medicine and surgery;

(e) "Permanent Registration" is the registration of eligible persons with a duly recognised primary medical qualification as regulated under the provisions of Chapter VI of the Act, which permits or provides license to an individual to independently practice modern scientific system of medicine or allopathy in India, as regulated under the Permanent Medical Regulations, 2021;

(f) "Schedule" means the Schedule annexed to these regulations;

(g) "Supervised Internship" means training of an intern by mentors so that he becomes a clinician with reliable competencies in diagnostic and therapeutic skills in different disciplines of medicine, appropriate for a primary care physician, to independently provide safe preventive, promotive, curative, palliative and holistic care with compassion and is confident of handling common acute emergencies.

(2) Words and expressions used in these regulations and not defined herein but defined in the Act, shall have the respective meanings assigned to them in the Act.

3. Prohibition of foreign medical graduate to practice medicine in India.—No foreign medical graduate shall practice medicine in India, unless he is granted permanent registration in accordance with the provisions of these regulations.

4. Grant of permanent registration to Foreign Medical Graduate.—No foreign medical graduate shall be granted permanent registration, unless he has–

(a) (i) undergone a course leading to foreign medical degree with minimum duration of fifty-four months;

(ii) Undergone an internship for a minimum duration of twelve months in the same foreign medical institution;

(iii) Received a foreign medical degree with medium of instructions in English; and

(iv) studied the mandatory subjects specified in the Schedule-I;

(b) registered with the respective professional regulatory body or otherwise, competent to grant license to practice medicine in their respective jurisdiction of the country in which the medical degree is awarded and at par with the license to practice medicine given to citizen of that country;

(c) undergone supervised internship in India for a minimum term of twelve months, after applying for the same to the Commission; and

(d) has cleared the National Exit Test or such other mandated test or tests conducted by the Commission.

5. Applicability of these regulations.—(1)Notwithstanding anything contained in regulation 4, these regulations shall not be applicable—

(a) To foreign medical graduates who have acquired a foreign medical degree or primary qualification, as the case may be, prior to the coming into force of these regulations;

(b) to candidates who are pursuing their education in foreign institutions prior to the coming into force of these regulations; and

(c) to such foreign medical graduates who are specifically exempted by the Commission or the Central Government, as the case may be, by notification.

(2) The foreign medical graduates who have acquired a foreign medical degree or primary qualification, as the case may be, and the candidates who are pursuing their education in foreign institutions, prior to the coming into force of these regulations, shall be governed by the erstwhile applicable regulations.

(3) Notwithstanding anything contained in these regulations, no grant of permanent registration to practice medicine shall be issued if the same infringes upon public policy or national security.

SCHEDULE-I

(See regulation 4)

CRITERIA TO RECOGNISE FOREIGN MEDICAL GRADUATES APPLYING FOR LICENCE OR PERMANENT REGISTRATION TO PRACTICE IN INDIA

1. The guiding principle for licensing a foreign medical graduate to practice in India is to ensure that the Foreign Medical Graduate fulfils the requirements of education and training equivalent or commensurate with that of an Indian medical graduate.

2. Eligibility for primary medical qualification in a country outside India:

(i) Duration of course and training in subjects leading to primary medical qualification:

(a) Any person who pursue the foreign medical degree should have undergone a course of theory, practical and clinical training equivalent to Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) of India; and

(b) Should have been completed internship of twelve months in addition to such course referred to in clause (a), in the same foreign institution where the primary medical qualification has been obtained, along with hands-on training in clinical subjects including but not limited to Community Medicine, General Medicine, Psychiatry, Paediatrics, General Surgery, Anaesthesia, Obstetrics and Gynaecology, Orthopaedics, Otorhinolaryngology, Ophthalmology, Dermatology, Emergency or Casualty services, lab services and their sub-specialties.

(ii) Content of course or Training leading to primary medical qualification

(a) The course and internship or clinical clerkship shall commensurate with the MBBS course of India in accordance with the Regulations on Graduate Medical Education, 1997and subsequent amendments thereto, and shall include the subjects mentioned therein as are duly recognised by the Commission under sub- section (2) of section 61 of the Act;

(b) The course curriculum shall be made available for review by appropriate authorities, and if necessary, in the website of the institution or university where the course is being pursued at the time of joining the course.

(iii) Location of medical college or institution and administration of the course or training:

The entire course, training and internship or clerkship shall be done outside India in the same foreign medical institution throughout the course of study and no part of medical training and internship shall be done in India or in any country other than country from where the primary medical qualification is obtained.

(iv) Duration of course:

The total duration of the foreign medical graduation course shall be completed within ten years from the date of joining the course.

Dr. SANDHYA BHULLAR, Secy.

[F. No. ADVT.-III/4/Exty./446/2021-22]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.